दिनांकः **29.10.2026**

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 25.38 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेड़ी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान ***01 नशा तस्कर अभियुक्त अकिंत पुत्र हुकमचन्द्र निवासी ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहानपुर*** *को* ***हिण्डन नदी के पुराने पुल के पास से*** *गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 25.38 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 315/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अकिंत पुत्र हुकमचन्द्र निवासी ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहानपुर

बरामदगी का विवरण -

25.38 ग्राम स्मैक अवैध

अभियुक्त अकिंत का आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0स0- 168/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 38 सुरेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. का0 858 नितेश थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना - महिला थाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती ममतेश रानी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर महिला थाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 NBW वारण्टी अभियुक्त जोनी पुत्र स्व0 कलीराम निवासी शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0- 657/25 धारा 498ए/323 भादवि थाना महिला थाना (मा0न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/एफ0टी0सी0 सहारनपुर) में ग्राम शेरपुर पेलो से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

जोनी पुत्र स्व0 कलीराम निवासी शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री शिवकुमार शर्मा थाना महिला थाना, सहारनपुर*
2. *है0का0 475 जगप्रवेश थाना महिला थाना, सहारनपुर*

दिनांक 29.10.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 230 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. आदित्य उर्फ सन्नी पुत्र राकेश निवासी मौ0 शान्तिनगर जेल चुंगी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर व 2. उस्मान पुत्र इरफान निवासी फूल कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को शकलापुरी मार्ग पर आम के बाग के पास से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से* ***230 ग्राम (आदित्य उर्फ सन्नी से 110 ग्राम व उस्मान से 120 ग्राम) अवैध चरस*** *बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मण्डी पर* ***मु0अ0सं0 536/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट*** *के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आदित्य उर्फ सन्नी पुत्र राकेश निवासी मौ0 शान्तिनगर जेल चुंगी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. उस्मान पुत्र इरफान निवासी फूल कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 230 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त आदित्य उर्फ सन्नी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 11/2025 धारा 305(a) BNS थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 122/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 536/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त उस्मान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 186/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 248/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 249/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 585/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 536/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री अय्यूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1761 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
5. *का0 2436 सरताज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
6. *का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

दिनांक 29.10.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 17 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मौ0 अहमद पुत्र फाजिल निवासी इस्लामाबाद गली नं0-2 खुदाना थाना मंडी जनपद सहारनपुर** को पुराना कलसिया रोड पर कब्रिस्तान के पास टावर वाली गली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 17 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 537/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ0 अहमद पुत्र फाजिल निवासी इस्लामाबाद गली नंबर 2 खुदाना थाना मंडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 17 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त मौ0 अहमद का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 779/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 603/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 636/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 26/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 356/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 0089/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 281/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 09 महबूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 1255 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक 29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम तथा शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त रवि पुत्र राजू उर्फ बिजेन्द्र निवासी पुष्पाजली विहार जनता रोड थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर*** *को बाबालाल दास रोड कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से* ***01 अवैध चाकू*** *बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर* ***मु0अ0स0 538/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट*** *के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रवि पुत्र राजू उर्फ बिजेन्द्र निवासी पुष्पाजली विहार जनता रोड थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *01 अदद नाजायज चाकू*

अभियुक्त रवि उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 130/2025 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 538/2026 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना मण्डी जिला सहारनपुर
4. रि0का0 1226 सचिन कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

दिनांकः **29.10.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश चौहान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व दबिश के दौरान 08 वारंटी अभियुक्तगण **1. सोनू कुमार पुत्र सुमेर चन्द 2. सुमेरचन्द पुत्र दसौदीराम निवासीगण ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** संम्बन्धित वाद संख्या 1049/25 धारा 498(ए/(323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अभि0 चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम कादरपुर से **3. राकेश पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम रण्डौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 5337/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर को ग्राम रण्डौल से **4. अजीम उर्फ सर्किट पुत्र शमशाद निवासी मौ0 मनिहारान कस्बा व थाना बेहट स0पुर** संम्बन्धित वाद संख्या 11244/22 धारा 380/411भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर को कस्बा बेहट से **5. अनुज पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम दाऊदपुरा थाना बेहट स0पुर** संम्बन्धित वाद संख्या 352/24 अ0सं0 352/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम दाऊदपुरा से **6. याहयाह पुत्र मौ0 शफी निवासी ग्राम शाहबुद्दीन थाना बेहट स0पुर** संम्बन्धित वाद संख्या 143/21 अ0सं0 42/18 धारा 498ए/323 भादवि व 3/4 द0प्र0अधि0 चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम शाहबुद्दीनपुर से **7. तेलूराम पुत्र महीपाल निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट स0पुर** संम्बन्धित वाद संख्या 11250/22 मु0अ0स0 254/14 धारा 379/411भादवि व 33 पुलिस एक्ट चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम पथरवा से **8. जाबिर पुत्र सूबेदीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट स0पुर** संम्बन्धित वाद संख्या 11804/22 मु0अ0स0 270/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट एक्ट चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम पथरवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. सोनू कुमार पुत्र सुमेर चन्द निवासी ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. सुमेरचन्द पुत्र दसौदीराम निवासी ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. राकेश पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम रण्डौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. अजीम उर्फ सर्किट पुत्र शमशाद निवासी मौ0 मनिहारान कस्बा व थाना बेहट स0पुर
5. अनुज पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम दाऊदपुरा थाना बेहट स0पुर
6. याहयाह पुत्र मौ0 शफी निवासी ग्राम शाहबुद्दीन थाना बेहट स0पुर
7. तेलूराम पुत्र महीपाल निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट स0पुर
8. जाबिर पुत्र सूबेदीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री संजय यादव थाना बेहट, सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री ओमकार सिंह थाना बेहट, सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
4. *उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
5. *है0का0 619 हरेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर*
6. *है0कां0 734 सतेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर*
7. *है0कां0 264 अनिल कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
8. *है0कां0 631 विकास कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
9. *का0 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
10. *का0 2495 देवेन्द्र कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
11. *का0 05 उमंग राठी थाना बेहट, सहारनपुर*
12. *रि0का0 451 जितेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर*
13. *रि0का0 473 विनीत कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
14. *रि0का0 452 रवि थाना बेहट, सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक 29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया 01 मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरण: –

दिनांक 17.10.2026 को वादी श्री यासिर पुत्र नोसाद निवासी मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी का मोबाइल फोन व 1600/- रुपये छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 539/26 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर छिनैती की घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.10.2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त ***इदरीश पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम अध्याना जाने वाले रोड पर स्थित ट्यूबवैल से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी।*

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनाक 17.10.2026 को सरसावा रोड स्थित पैट्रोल पम्प से मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिया था तथा अपने साथी के साथ मो0सा0 पर बैठकर जंगल की तरफ भाग गया था। मोबाइल फोन के कवर में पीछे की तरफ रखे 1600/- रुपये हमें मिले थे, जिनको हमने मौज मस्ती में खर्च कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

इदरीश पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- *01 मोबाइल फोन*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1292 टुंकिल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 202 विवेक कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
5. *है0का0 713 नितिन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त ***रवि पुत्र राम सिंह निवासी ब्रिजेश नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*** *(संबंधित वाद स0 4544/22 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर सम्बन्धित माननीय न्याया0 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय जनपद सहारनपुर) को ब्रिजेश नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

रवि पुत्र राम सिंह नि0 ब्रिजेशनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. उ0नि0 नितिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 13 इकलाख थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
4. रि0का0 2073 अतुल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 126/135/170 बीएनएनएस के तहत चालानी कार्यवाही की गई

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत **01 अभियुक्त फरहान पुत्र फैजान निवासी कटहल कालोनी थाना मण्डी जनपद सहरनपुर** को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएनएस के तहत कटहल कालोनी से गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरहान पुत्र फैजान निवासी कटहल कालोनी थाना मण्डी जनपद सहरनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1237 मोनू भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 5000/- रुपये व 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 29.10.2026 *को वादी पिताम्बर सिंह पुत्र स्व0 समय सिंह गाँव हैदरपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की जेब से करीब 9500/- नौ हजार पाँच सौ रुपये, आल्टो कार जिसका रजि0 नं0 UK07BK3121 की आर0सी0 व प्रार्थी का डाईविंग लाईसेन्स (फोरव्हीलर) को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 351/2026 धारा 303(2) बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2) व 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कराया गया।*

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये ***01 वांछित अभियुक्त सिद्दार्थ उर्फ युवी पुत्र स्वराज निवासी ग्राम पिलखनी रविदास मन्दिर के पास थाना सरसावा स0पुर*** *को पठनी रोड पिलखनी अन्डर पास एफसीआई गोदाम के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस.315 बोर व 5000/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सिद्दार्थ उर्फ युवी पुत्र स्वराज निवासी ग्राम पिलखनी रविदास मन्दिर के पास थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- *01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर*
- *5000-/ रुपये नगद*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 श्री रविंद्र कसाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3- रि0का0 361 अनिल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4- रि0का0 2587 भुवनेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांक 28-10-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा आर्म्स एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 20,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.09.2022 को वादी उ0नि0 बलराम सिंह थाना देवबंद जनपद- सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त नितेश पुत्र राजवीर सैनी नि0 सराय मालियान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर के कब्जे से 315 बोर जिन्दा कारतूस व तमंचा बरामद होने की सूचना पर मु0अ0सं0-616/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबंद जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-463/2024 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 29.10.2026 को अभियुक्त नितेश पुत्र राजवीर सैनी निवासी सराय मालियान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-616/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया।*

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) विक्रम सिंह वर्मा।
विवेचक- उ0नि0 नरेन्द्र सिंह।
पैरोकार- है0का0 2368 उत्तम सिंह थाना देवबंद स0पुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 29-10-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-12 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000-50,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 26.09.2022 को वादी श्री प्रमेश पुत्र उधल नि0 ग्राम असदपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर अभियुक्तगण 1-हिमांशु पुत्र सोनू सैनी नि0 तल्हेडी खुर्द थाना देवबंद जनपद सहारनपुर 2- सोनू पुत्र अतर सिंह नि0 उपरोक्त 3- नितेश पुत्र राजवीर सैनी नि0 सराय मालियान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई की गोली मारकार हत्या कर देने पर मु0अ0सं0-612/2022 धारा 302/34/120बी भादवि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-462/2024 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-12 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 29.10.2026 को अभियुक्तगण 1- हिमांशु पुत्र सोनू सैनी निवासी तल्हेडी खुर्द थाना देवबंद जनपद सहारनपुर, 2- सोनू पुत्र अतर सिंह निवासी तल्हेडी खुर्द थाना देवबंद जनपद सहारनपुर व 3- नितेश पुत्र राजवीर सैनी निवासी सराय मालियान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-612/2022 धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000-50,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया ।*

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री राजवीर सिंह ।
विवेचक- निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ।
पैरोकार- का0 2368 उत्तम सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक -29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना का अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया 01 पंखा व 02 ताले बरामद

घटना का विवरण:- *दिनांक 23.09.2026 को वादी श्री मनजीत राणा पुत्र कुलवीर सिंह निवासी ग्राम भावसी रायपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर बाबत अज्ञात द्वारा वादी की भानजी की शराब की दुकान की दीवार तोडकर दुकान से करीब 6000/- रुपये नकद, 10 पेटी बीयर व 25 पेटी देशी शराब व छत का पंखा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर 243/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।*

पुलिस कार्यवाही:- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगाता संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नानौता श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नकबजनी की घटना का अनावरण करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये* ***02 वांछित अभियुक्तगण 1. बन्टी उर्फ अर्जुन पुत्र तेल्लूराम निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर व 2. फिरोज पुत्र इन्तजार उर्फ भूटा राव निवासी मौ0 महल चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर*** *को शुगर मिल खण्डर रेलवे रोड सें गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया 01 पंखा व 02 ताले बरामद हुए। अभियुक्तगण को विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. बन्टी उर्फ अर्जुन पुत्र तेल्लूराम निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. फिरोज पुत्र इन्तजार उर्फ भूटा राव निवासी मौ0 महल चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- *एक पंखा*
- *02 टूटे हुए ताले*

अभियुक्त बन्टी उर्फ अर्जुन का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 102/26 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 269/22 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 293/24 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 319/25 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 028/26 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 243/26 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त फिरोज का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 326/20 धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 41/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 04/25 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

4. मु0अ0सं0 243/26 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

3. है0का0 106 विक्रान्तमान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

4. है0का0 459 मोहसीन खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः **29.10.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद

घटना व कार्यवाहीः- *दिनांक 11.07.2026 को वादी श्री जतिन सैनी पुत्र नरेश कुमार निवासी मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर मो0न0 9197770648 की लिखित तहरीर , जो बाबत अज्ञात चोर द्वारा रेलवे स्टेशन डाकघर के आगे बैरियर के पास मोटर साईकिल रजि0 न0 UP11CN 0408 को चोरी कर ले जाना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 0344/26 धारा 303(2)बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2) बीएनएस व 191(1) एमवी एक्ट के पंजीकृत कराया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार/ प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.10.2026 को थाना सदर बाजार द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***01 वांछित अभियुक्त मौनिस पुत्र नसीम निवासी ग्राम तातरपुर खुर्द थाना गंगोह जिला सहारनपुर*** *को गंगोह बस अड्डे के पास कच्चा रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11CN 0408 बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

अभियुक्त का नाम पताः-

मोनिस पुत्र नसीम निवासी ग्राम तातरपुर खुर्द थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

*01 चोरी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल (**UP11CN 0408**)*

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमनपाल सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 302 राहुल मलिक थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 2361 जितेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. पीआरडी कुलदीप थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक -29.10.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस एवं सीसी टीम एवं खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा चैंकिग के दौरान बरामद लगभग 200 कि0ग्रा0 मिष्ठान (सफेद रसगुल्ले) को खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मौके से नमूना लेकर शेष मिष्ठान को विनिष्ट किया गया एवं 01 कार हुण्डई वरना को सीसी टीम थाना नानौता द्वारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट परिवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विकास चारण व थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.10.2026 को चैकिंग के दौरान की गई कार्रवाई के क्रम में मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं खाद्य अधिकारी श्री उमेश कुमार द्वारा बरामद लगभग 200 किलोग्राम मिष्ठान्न(सफेद रसगुल्ले) में से परीक्षण हेतु नमूना लिया गया तथा शेष मिष्ठान्न को जनहित में गड्ढा खुदवाकर विनिष्टीकरण कराया गया। इसके अतिरिक्त वाहन संख्या UP11 CJ 9976 हुंडई वरना कार के संबंधित दस्तावेज मौके पर उपलब्ध न कराने के कारण सीसी टीम प्रभारी उपनिरीक्षक सतीश कुमार द्वारा ई-चालान एप के माध्यम से धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन सीज किया गया।

बरामदगी का विवरण:

- *लगभग 200 किलोग्राम सफेद रसगुल्ला*

वाहन में मौजूद व्यक्तियों का विवरण:

1. *सौरव शर्मा पुत्र ब्रजभूषण निवासी ग्राम नस्तरपुर सडोली, थाना कोतवाली, जनपद सहारनपुर।*
2. *जान मोहम्मद पुत्र इकबाल निवासी भैसानी, थाना भवन, जनपद शामली।*

कार्यवाही करने वाली टीम:

1. *थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
2. *खाद्य सुरक्षा अधिकारी. श्री विपिन कुमार, , जनपद सहारनपुर।*
3. *श्री खाद्य अधिकारी, उमेश कुमार, तहसील रामपुर मनिहारान क्षेत्र, जनपद सहारनपुर।*
4. *उपनिरीक्षक श्री उपेन्द्र राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
5. *उपनिरीक्षक श्री सतीश कुमार(सीसी टीम प्रभारी) थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
6. *है0का0 729 उपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।*
7. *का0 प्रेम बाबू थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*